



भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (नाईस)



डाक : ईसीआईएल  
हैदराबाद-500 062



“सरकार का प्रयास एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जिसमें लैंगिक संतुलन  
झलकता हो और महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हों”

(एनएफसी का वेबसाइट : [www.nfc.gov.in](http://www.nfc.gov.in))

विज्ञापन संख्या. एनएफसी/01/2023

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि              | 11.03.2023 से 10.04.2023 तक |
| ऑनलाइन आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय | 10.04.2023 को 23:59 बजे तक  |

परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति होने पर चयनित अभ्यर्थी देश के विभिन्न भागों में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन पदों के लिए विवरण एवं पात्रता मापदंड नीचे दिए गए हैं:-

**1. पदों का विवरण**

| क्र. | पद का नाम                                       | पद कूटांक | पद का वर्गीकरण                      | वेतन स्तर  | आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आयु सीमा |
|------|---|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 1    | मुख्य अग्निमशमन अधिकारी/ए                       | 12301     | ग्रुप 'ए'<br>(राजपत्रित-वैज्ञानिक)  | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में रु. 67,700/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 40 वर्षों से अधिक नहीं                       |
| 2    | तकनीकी अधिकारी/सी (कंप्यूटर)                    | 12302     | ग्रुप 'ए'<br>(राजपत्रित-वैज्ञानिक)  | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में रु. 56,100/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 35 वर्षों से अधिक नहीं                       |
| 3    | उप मुख्य अग्निमशमन अधिकारी/ए                    | 12303     | ग्रुप 'ए'<br>(राजपत्रित-वैज्ञानिक)  | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में रु. 56,100/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 40 वर्षों से अधिक नहीं                       |
| 4    | स्टेशन अधिकारी/ए                                | 12304     | ग्रुप 'बी'<br>(राजपत्रित-वैज्ञानिक) | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 08 में रु. 47,600/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 40 वर्षों से अधिक नहीं                       |
| 5    | उप-अधिकारी/बी                                   | 12305     | ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित-तकनीकी)   | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 में रु. 35,400/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 40 वर्षों से अधिक नहीं                       |
| 6    | ड्राईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए (डीपीओएफ/ए) | 12306     | ग्रुप 'सी' (गैर-राजपत्रित-तकनीकी)   | वेतन मैट्रिक्स के लेवल 03 में रु. 21,700/- + महंगाई भत्ता + केंद्रीय सरकार के सेवकों हेतु यथाग्राह्य भत्ते | 27 वर्षों से अधिक नहीं                       |

**नोट :**

- i) पद कोड 12301 और 12303 से 12306 के लिए, ऊपरी आयु में 05 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अग्निशमन क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।
- ii) केंद्रीय सरकार में 03 वर्ष की निरंतर सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, पद कोड 12301 से 12305 (ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पद होने के नाते) के लिए आयु में छूट की सीमा 05 वर्ष है और पद कोड 12306 (ग्रुप 'सी' होने के नाते) 40 वर्ष (अजा/अजजा के लिए 45 वर्ष) तक है। आयु में छूट की मांग करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रमाणपत्र का एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है (अनुलग्नक-ए)

**2. रिक्तियों और श्रेणी-वार आरक्षण का विवरण**

| क्र. | पद कोड | पद  | श्रेणी-वार आरक्षण |     |      |      |                          |     |
|------|--------|---|-------------------|-----|------|------|--------------------------|-----|
|      |        |   | अनराक्षित         | अजा | अजजा | अपिव | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | कुल |
| 1    | 12301  | मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए                        | 01                | -   | -    | -    | -                        | 01  |
| 2    | 12302  | तकनीकी अधिकारी/सी (कंप्यूटर)                    | 02                | -   | -    | -    | 01                       | 03  |
| 3    | 12303  | उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए                     | 02                | -   | -    | -    | -                        | 02  |
| 4    | 12304  | स्टेशन अधिकारी/ए                                | 03                | 02  | 01   | 01   | -                        | 07  |
| 5    | 12305  | उप-अधिकारी/बी                                   | 15                | 02  | 03   | 07   | 01                       | 28  |
| 6    | 12306  | ड्राईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए (डीपीओएफ/ए) | 47                | 17  | 01   | 05   | 13                       | 83  |

नोट: ड्राईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए (डीपीओएफ/ए) (पद कोड 12306) के 83 पदों में से 10 पद भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं।

**3. ऑनलाइन आवेदन के समाप्त होने की तिथि को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :**

| पद कोड | पद का नाम                | शैक्षणिक अर्हता   | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या   |
|--------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 12301  | मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए | न्यूनतम 50% अंकों सहित एचएससी (10+2) या समतुल्य + राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से मंडल अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण | 12 वर्ष<br>(डीसीएफओ के रूप 06 वर्ष) |
|        |                          | न्यूनतम 60% अंकों के साथ अग्निशमन अभियांत्रिकी में बी.ई.  | 8 वर्ष<br>(डीसीएफओ के रूप 06 वर्ष)  |

**नोट:**

1. एक वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फायर इंजन, फायर पंप और अन्य अग्निशमन उपकरणों के प्रचालन और रखरखाव से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।
2. एक सुस्थापित पूर्णकालिक अग्निशमन सेवा संगठन में स्टेशन अधिकारी के पद से नीचे के पद पर अनुभव आवश्यक है।

| पद कोड | पद का नाम                    | शैक्षणिक अर्हता  | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या   |
|--------|------------------------------|--|---|
| 12302  | तकनीकी अधिकारी/सी (कंप्यूटर) | <p>न्यूनतम 60% अंकों के साथ निम्नलिखित किसी अभियांत्रिकी शाखा में एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक</p> <p><b>ए) कंप्यूटर विज्ञान</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. कंप्यूटर विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी</li><li>ii. सूचना विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी</li><li>iii. सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी</li><li>iv. कंप्यूटर एवं संप्रेषण अभियांत्रिकी</li><li>v. कंप्यूटर नेटवर्किंग</li><li>vi. कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी</li><li>vii. कंप्यूटर विज्ञान एवं सिस्टम अभियांत्रिकी</li><li>viii. कंप्यूटर विज्ञान एवं स्वचालन अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी</li><li>ix. कंप्यूटर विज्ञान/ अभियांत्रिकी एवं इंफार्मेटिक्स अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी</li></ol> <p><b>बी) इलेक्ट्रानिक्स</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी</li><li>ii. इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी</li><li>iii. इलेक्ट्रानिक्स एवं कंप्यूटर अभियांत्रिकी</li><li>iv. इलेक्ट्रानिक्स एवं नियंत्रण अभियांत्रिकी</li><li>v. इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार प्रणाली अभियांत्रिकी</li><li>vi. इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी</li><li>vii. इलेक्ट्रानिक्स एवं दूर-संचार अभियांत्रिकी</li><li>viii. इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीमैटिक्स अभियांत्रिकी</li><li>ix. औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी</li><li>x. दूरसंचार अभियांत्रिकी</li><li>xi. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी</li><li>xii. अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी</li></ol> | <p>पूर्व अनुभव अनिवार्य नहीं है। हालांकि, निम्नवत में से किसी एक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• जावा/नेट/पीएचपी/पॉ यथान/रिएक्टजेएस/ए न्यूलॉर/नोडजेएस</li><li>• डाटाबेस/एप्लीकेशन सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन</li><li>• आईटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा/कंप्यूटर नेटवर्किंग</li><li>• सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एवं शेल स्क्रिप्टिंग</li></ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | xiii. इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल संचार अभियांत्रिकी<br>xiv. संचार प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रिकल<br>xv. रेडियो भौतिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स<br>xvi. इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी<br>xvii. इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी<br>xviii. इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (एवियोनिक्स) |  |
|--|--|--|--|

| पद कोड | पद का नाम                   | शैक्षणिक अर्हता   | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या      |
|--------|-----------------------------|---|--|
| 12303  | उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए | न्यूनतम 50% अंकों सहित एचएससी (10+2) या समतुल्य + राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से मंडल अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण | 06 वर्ष<br>(स्टेशन अधिकारी के रूप में) |
|        |                             | न्यूनतम 60% अंकों के साथ अग्निशमन अभियांत्रिकी में बी.ई.  | 02 वर्ष<br>(स्टेशन अधिकारी के रूप में) |

**नोट :**

- उपरोक्त अनुभव के बावजूद, बिना बी.ई.(अग्निशमन) डिग्री वाले अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।
- एक वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फायर इंजन, फायर पंप और अन्य अग्निशमन उपकरणों के संचालन और रखरखाव से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।
- एक सुस्थापित पूर्णकालिक अग्निशमन सेवा संगठन में स्टेशन अधिकारी के पद से नीचे के पद पर अनुभव आवश्यक है।

| पद कोड | पद का नाम        | शैक्षणिक अर्हता   | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या  |
|--------|------------------|---|------------------------------------|
| 12304  | स्टेशन अधिकारी/ए | न्यूनतम 50% अंकों सहित एचएससी (10+2) या समतुल्य + वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस + राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से स्टेशन अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण | 05 वर्ष<br>(उप-अधिकारी के रूप में) |
|        |                  | न्यूनतम 60% अंकों के साथ अग्निशमन अभियांत्रिकी में बी.ई.  | शून्य                              |

**नोट :**

- उपरोक्त अनुभव के बावजूद, बिना बी.ई.(अग्निशमन) डिग्री वाले अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।
- अनुभव एक सुस्थापित अग्निशमन सेवा संगठन में होना चाहिए।
- फायर इंजन, फायर पंप और अन्य अग्निशमन उपकरणों के संचालन और रखरखाव से परिचित होना चाहिए।

| पद कोड | पद का नाम     | शैक्षणिक अर्हता   | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या *   |
|--------|---------------|---|---|
| 12305  | उप-अधिकारी/बी | न्यूनतम 50% अंकों सहित एचएससी (10+2) या समतुल्य + राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से उप-अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण<br><br>वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। | 12 वर्ष<br>(अग्रणी अग्निशामक के रूप में 5 वर्ष)<br><br>या<br><br>15 वर्ष<br>(अग्निशामक/ड्राइवर-सह-प्रचालक/डीपीओएफ के रूप में) |

\* इनमें से अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के बाद दो (02) वर्षों का प्रासंगिक अनुभव अवश्य हो।

**नोट:**

एक मान्यताप्राप्त सिविल/औद्योगिक अग्निशमन सेवा स्टेशन में अग्निशामक/अग्रणी अग्निशामक/ड्राइवर-सह-पंप-प्रचालक-सह-अग्निशामक के रूप में अनुभव आवश्यक है।

| पद कोड | पद का नाम                                       | शैक्षणिक अर्हता  | संबंधित अनुभव के वर्षों की संख्या |
|--------|---|--|-----------------------------------|
| 12306  | ड्राइवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए (डीपीओएफ/ए) | न्यूनतम 50% अंकों सहित एचएससी (10+2) या समतुल्य + न्यूनतम एक वर्ष का चालन अनुभव के साथ वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस + राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र से अग्निशामक आदि जैसे अग्निशमन उपकरण में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम | शून्य                             |

**4. चयन मानदंड**

| पद कोड : 12301 (मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए)- वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11 और 12303 (उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए) - वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10  |
|--|
| <p>1. आवेदक जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें नीचे तालिका-1 के अनुसार शारीरिक मानकों के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p>2. शारीरिक मानकों को पूरा करने वालों को वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p><b>अभ्यर्थियों का अंतिम चयन मात्र वैयक्तिक साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर होगा।</b></p> |

| पद कोड : 12302 (तकनीकी अधिकारी/सी [कंप्यूटर]) – वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10   |
|---|
| <p>प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए एक स्क्रीनिंग / लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।</p> <p><b>अभ्यर्थियों का अंतिम चयन मात्र वैयक्तिक साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर होगा।</b></p> |

**पद कोड 12304 (स्टेशन अधिकारी/ए) – वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8**

1. जो आवेदक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें नीचे तालिका-1 के अनुसार शारीरिक मानकों के लिए बुलाया जाएगा।
2. शारीरिक मानकों को पूरा करने वालों को नीचे तालिका-2 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
3. उपरोक्त परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

**अभ्यर्थियों का अंतिम चयन मात्र वैयक्तिक साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर होगा।**

**पद कोड : 12305 (उप अधिकारी/बी) – वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 और**

**12306 (डाईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए)- वेतन मैट्रिक्स का लेवल-3**

**स्टेज-1 :**

1. जो आवेदक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें नीचे तालिका-1 के अनुसार शारीरिक मानकों के लिए बुलाया जाएगा।
2. शारीरिक मानकों को पूरा करने वालों को नीचे तालिका-2 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, पद कोड 12305 के लिए कमांड टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
3. पद कोड 12305 के लिए शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण और कमांड टेस्ट और पद कोड 12306 के लिए शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण पास करने वालों को ही **स्टेज -2 (प्रारंभिक परीक्षा)** में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

**स्टेज -2 (प्रारंभिक परीक्षा):**

1. लिखित परीक्षा में निम्नलिखित अनुपात में 01 घंटे की अवधि के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न (4 उत्तरों का विकल्प) शामिल होंगे, जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) में होंगे।

|               |           |
|---------------|-----------|
| गणित          | 20 प्रश्न |
| विज्ञान       | 20 प्रश्न |
| सामान्य ज्ञान | 10 प्रश्न |

2. अभ्यर्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन (03) अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक (01) अंक काटा जाएगा।
3. अनारक्षित और इंडब्ल्यूएस श्रेणियों में 40% से कम स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी तरह, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में 30% से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
4. चरण-2 (प्रारंभिक परीक्षा) में स्क्रीन-इन किए गए सभी अभ्यर्थियों को चरण-3 (उन्नत परीक्षा) के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

**स्टेज-3 (उन्नत परीक्षा):**

1. परीक्षा में 02 घंटे की अवधि के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न (4 उत्तरों के विकल्प) शामिल होंगे, जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) में होंगे। प्रश्नों का स्तर उनकी योग्यता शैक्षणिक/व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता पर आधारित होगा।

2. अभ्यर्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन (03) अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक (01) अंक काटा जाएगा।
3. अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में 30% से कम स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी तरह, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में 20% से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
4. मेरिट लिस्ट स्टेज-3 (एडवांस टेस्ट) के बाद स्टेज-3 (एडवांसड टेस्ट) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी।
5. बराबरी की स्थिति में, मेरिट सूची में स्थान तय करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए:
- i) स्टेज -3 (एडवांस टेस्ट) में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- ii) स्टेज -2 (प्रारंभिक परीक्षा) में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
- iii) स्टेज -2 (प्रारंभिक परीक्षा) में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- iv) स्टेज-2 (प्रारंभिक परीक्षा) में गणित में उच्च सकारात्मक अंकों वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाता है।
- v) चरण-2 (प्रारंभिक परीक्षा) में विज्ञान में उच्च सकारात्मक अंकों वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाता है।

(तालिका-1)

**सभी अग्निशमन सेवा के लिए शारीरिक मापदंड (पद कोड 12301 और 12303 से 12306 तक):**

किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं होनी चाहिए

\*ऊंचाई : 165 से.मी. (न्यूनतम)

\*वजन : 50 कि.ग्रा. (न्यूनतम)

\*सीना : 81 से.मी. (सामान्य)

\*सीना : न्यूनतम 86 से.मी. (फुलाने पर)

\*दृष्टि : (क) 6/6, किसी भी प्रकार के चश्मे या अन्य सहायता के बिना  
(ख) रतौंधी या वर्णान्धता अनहर्कता होगी

(तालिका-2)

| पद कोड 12304 से 12306 तक के लिए शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए मानदंड |  |                                 |               |               |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| क्र.सं.   | घटनाओं का विवरण  | अभ्यर्थियों की आयु (वर्षों में) |               |               |
|   |  | 40 तक                           | 40-45 तक      | 45-50 तक      |
| 01.   | 100 मीटर की दौड़ पूरी करना।  | 25 सेकेंड में                   | 28 सेकेंड में | 30 सेकेंड में |
| 02.   | उपकरण से लंबाई के 4 होज जिनमें प्रत्येक 15 मीटर लंबा हो को बिछाने में सक्षम                        | 3 मिनट में                      | 4 मिनट में    | 5 मिनट में    |
| 03.   | 10 मीटर लंबी सीढ़ी पर दो बार ऊपर चढ़ना और दो बार उतरना।  | 2 मिनट में                      | 3 मिनट में    | 4 मिनट में    |
| 04.   | लगभग अपने स्वयं के वजन के बराबर व्यक्ति को फायरमैन की लिफ्ट विधि द्वारा 25 मीटर तक उठा कर ले जाना। | 3 मिनट में                      | 4 मिनट में    | 5 मिनट में    |
| 05.   | लगातार पुशअप करने में सक्षम  | 20 मिनट में                     | 12 मिनट में   | 14 मिनट में   |
| 06.   | 1.6 कि.मी. की दौड़ लगाना   | 10 मिनट में                     | 12 मिनट में   | 14 मिनट में   |
| 07.   | पाइप या रस्सी पर सीधी चढ़ाई  | 3 मीटर                          | लागू नहीं     | लागू नहीं     |

**नोट :**

1. उपरोक्त परीक्षाओं के अलावा, पद कोड 12304 और 12305 के अभ्यर्थी शारीरिक प्रशिक्षण, स्क्वाड ड्रिल, अग्निशमन ड्रिल, अग्निशमन/ट्रेलर पंप संचालन करने में सक्षम होंगे।
2. पद कोड 12306 के लिए ड्राइविंग टेस्ट आवश्यक है।
3. तालिका-2 के क्रम संख्या 1 में अर्हता अनिवार्य है, जिसके विफल होने पर अभ्यर्थी भर्ती के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा और आगे की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी।
4. तालिका-2 (समान वेटेज लेते हुए) के क्रम संख्या 2 से 7 तक के परीक्षाओं के लिए आवश्यक अर्हक प्रतिशत अंक औसतन 90% और उससे अधिक होंगे।
5. पीएटी से गुजरने वाले अभ्यर्थियों को अपने जोखिम पर प्रदर्शन करना चाहिए और किसी भी चोट के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

**5. पद कोड 12301 और 12306 के लिए कर्तव्यों की प्रकृति**

| पद कोड | पद                           | कर्तव्यों की प्रकृति  |
|--------|------------------------------|---|
| 12301  | मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए     | <p>I. अग्नि निवारण, अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन (संचालन और पर्यवेक्षण) व्यवस्थाओं और उपकरणों/सामानों की खरीद सहित पूरे अग्निशमन सेवा संगठन के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अग्निशमन कर्मियों पर उसका नियंत्रण होगा।</p> <p>II. हर समय उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन, मनोबल और तैयारी की स्थिति में अग्निशमन सेवा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।</p> <p>III. सभी अग्नि सुरक्षा उपायों पर प्रबंधन को सहायता और सलाह देंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अग्निशमन सेवा/पड़ोसी अग्निशमन सेवा के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में सहायता करेंगे कि किसी भी गंभीर आग के मामले में अधिकतम सहायता उपलब्ध कराई जाए।</p> <p>IV. विभिन्न प्राधिकरणों/एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>V. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।</p>  |
| 12302  | तकनीकी अधिकारी/सी (कंप्यूटर) | <p>निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य सौंपे जाएंगे। तथापि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विवरण विशिष्ट है और संपूर्ण नहीं है।</p> <p><b>1. सॉफ्टवेयर विकास</b><br/>           ए) उद्यम आईटी अनुप्रयोगों का डिजाइन, विकास और परिनियोजन।<br/>           बी) इन-हाउस आईटी अनुप्रयोगों का रखरखाव और अनुरक्षण।<br/>           सी) डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन।</p> <p><b>2. इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग</b><br/>           ए) उद्यम श्रेणी के आईटी सर्वर, नेटवर्किंग हार्डवेयर का डिजाइन और परिनियोजन।<br/>           बी) क्लाउंट, सर्वर और नेटवर्क हार्डवेयर का रखरखाव और अनुरक्षण।<br/>           सी) सर्वर और नेटवर्क उपकरणों का सख्त होना<br/>           डी) प्रदर्शन और सुरक्षा सुधारों के लिए नेटवर्क उपकरणों का कॉन्फिगर/ट्यूनिंग।</p> <p><b>3. साइबर सुरक्षा</b><br/>           ए) संगठनों की आईटी सुरक्षा नीति के डिजाइन एवं कार्यान्वयन हेतु</p> |



|       |                             |  |
|-------|-----------------------------|--|
|       |                             | <p>उत्तरदायी</p> <p>बी) सुरक्षा उपकरण के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन और निगरानी और समय पर वृद्धि/मुद्दों का समाधान।</p> <p>इस कार्य में संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक/बाह्य एजेंसियों के साथ समन्वय भी शामिल है।</p> <p>IV. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।</p>  |
| 12303 | उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए | <p>I. द्वितीय कमान प्रभारी होने के नाते दैनिक गतिविधियों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की सहायता करेंगे।</p> <p>II. मुख्य अग्निशमन अधिकारी की अनुपस्थिति में समस्त अग्निशमन सेवा संगठन जिसमें अग्नि निवारण, अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन (संचालन एवं पर्यवेक्षण) व्यवस्था तथा उपकरणों/सामानों की खरीद की जिम्मेदारी होगी तथा समस्त अग्निशमन कर्मियों पर नियंत्रण होगा।</p> <p>III. हर समय उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन, मनोबल और तैयारी की स्थिति में अग्निशमन सेवा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।</p> <p>IV. सभी अग्नि सुरक्षा उपायों पर प्रबंधन को सहायता और सलाह देंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अग्निशमन सेवा/पड़ोसी अग्निशमन सेवा के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में सहायता करेंगे कि किसी भी गंभीर आग के मामले में अधिकतम सहायता उपलब्ध कराई जाए।</p> <p>V. विभिन्न प्राधिकरणों/एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों को लागू करना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>VI. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।</p> |
| 12304 | स्टेशन अधिकारी/ए            | <p>दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी की सहायता करेंगे।</p> <p>सीएफओ/डीसीएफओ की अनुपस्थिति में, अग्नि निवारण, अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन (संचालन और पर्यवेक्षण) व्यवस्थाओं और उपकरणों/सामानों की खरीद सहित पूरे अग्निशमन सेवा संगठन के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अग्निशमन कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और निम्नवत के लिए जिम्मेदार होगा :</p> <p>i. अग्निशमन संचालन और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था।</p> <p>ii. हर समय उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन, मनोबल और तैयारी की स्थिति में अग्निशमन सेवा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।</p> <p>iii. अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन तकनीकों में नवीनतम विकास से परिचित होना और अग्निशमन कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।</p>  |

|       |                                     |  |
|-------|-------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>iv. फायर ड्रिल, निरीक्षण, सभी विधिक दस्तावेजों का अद्यतन</p> <p>v. यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अनुभाग के साथ संपर्क करना कि अग्निशमन के लिए जल आपूर्ति प्रणाली हमेशा पर्याप्त हो।</p> <p>vi. स्वतः पता लगाने और बुझाने की प्रणाली स्वस्थ स्थिति में है और सभी अग्नि सुरक्षा उपायों पर प्रबंधन को सहायता और सलाह देना और प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता करना।</p> <p>vii. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।</p>  |
| 12305 | उप-अधिकारी/बी                       | <p>i. अग्नि आपात स्थितियों में भाग लेना, ड्यूटी के दौरान प्राप्त विशेष कॉल और फायर स्टेशन में सभी अग्निशमन उपकरणों, उपकरणों, पंपों आदि के लिए कार्यभार संभालना और जिम्मेदार होना।</p> <p>ii. यह सुनिश्चित करना कि अग्नि संचार प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली हर समय काम करने की स्थिति में है और उनके प्रभार में अग्नि सुरक्षा ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल का निर्देश और संचालन करना। अग्नि उपकरणों और उपकरणों के रखरखाव की व्यवस्था करें।</p> <p>iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लॉग बुक, घटना बुक, उपस्थिति रोल बुक का रखरखाव किया जाता है।</p> <p>iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि फायर स्टेशन में तैनात कर्मचारी उचित वर्दी/सुरक्षा गियर का उपयोग कर रहे हैं और कर्तव्यों से अच्छी तरह परिचित हैं।</p> <p>v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपकरण मानक के अनुसार बनाए रखे जाते हैं।</p> <p>vi. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।</p> |
| 12306 | ड्राईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए | <p>i. चौबीसों घंटे की शिफ्ट में अग्नि आपात स्थिति और विशेष सेवा कॉल में भाग लेना, अग्नि आपात स्थिति और विशेष सेवा कॉल और में भाग लेने के दौरान वरिष्ठों के आदेशों को निष्पादित करना</p> <p>ii. स्टेशन के काम में अग्निशमन अधिकारियों की सहायता करना, अग्निशमन केंद्र में विभिन्न अभिलेखों का रखरखाव करना।</p> <p>iii. प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपकरणों, अग्नि संचार प्रणाली, अग्निशमन उपकरणों एवं प्रणालियों के अनुरक्षण/परीक्षण के कार्य में भाग लेना।</p> <p>iv. अच्छी हाउसकीपिंग बनाए रखना और फायर ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेना।</p> <p>v. अग्नि उपकरण को आग के स्थान पर ले जाना और पंपों को संचालित करना और अग्नि आपात स्थितियों में भाग लेने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवश्यक सुरक्षा परिचालन कर्तव्यों को संचालित करना।</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | vi. अग्नि उपकरणों / पंपों को सही कार्य क्रम में बनाए रखने के लिए। किसी भी तरह की खराबी की सूचना फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जानी चाहिए ताकि खराबी को दूर किया जा सके।<br>vii. वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। |
|--|--|---|

## 6. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेशः

- 6.1. राष्ट्रीयता/नागरिकता: अनिवार्य रूप से भारत का एक नागरिक होना चाहिए
- 6.2. तकनीकी अधिकारी 'सी' (कंप्यूटर)- OA, OL, BL, और OAL श्रेणी में विकलांग (दिव्यांगजन) पद कोड 12302 के लिए ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- 6.3. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निम्नवत श्रेणियों में आयु में छूट का दावा करने हेतु ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट निम्नवत हैः

| क्र.   | श्रेणी  | आयु सीमा से ऊपरी आयु के लिए स्वीकार्ययोग्य आयु में छूट                     |
|--|---|--|
| 01   | अजा/अजजा  | 05 वर्ष  |
| 02   | अपिव  | 03 वर्ष  |
| 03   | दिव्यांगजन  | 10 वर्ष  |
| 04   | भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)  | समाप्त तिथि को वास्तविक आयु से प्रदत्त मिलिटरी सेवा की कटौती के बाद 3 वर्ष |
| 05   | केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की निरंतर सेवा (गुप-ए और गुप-बी के पदों हेतु) की हो। | 05 वर्ष  |
| <b>गुप "ग" पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट</b> |   |  |
| 06   | केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की निरंतर सेवा की हो।                                | 40 वर्षों की आयु तक  |
| 07   | केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की निरंतर सेवा की हो।                     | 45 वर्षों की आयु तक  |
| 08   | विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं और जिन्होंने पुनःविवाह नहीं किया है।  | 35 वर्षों की आयु तक *  |
| 09   | विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं और जिन्होंने पुनःविवाह नहीं किया है। (अजा/अजजा)   | 40 वर्षों की आयु तक*   |
| 10   | मेधावी खिलाड़ी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं।   | 05 वर्ष  |

\* उपर्युक्त छूट (उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 08 एवं 09 के संबंध में) तलाक या न्यायिक रूप से अलगाव, जैसा भी मामला हो, के तथ्य को प्रमाणित करने हेतु उपयुक्त अदालत के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति को दिखाने की शर्त पर है। शैक्षणिक योग्यताएं या भर्ती की पद्धति में कोई छूट नहीं है।

- 6.4. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि और उसी को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज आयु के निर्धारण के लिए इस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### **भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) हेतु प्रावधान**

- 6.5. एक 'पूर्व सैनिक' का अर्थ है एक व्यक्ति:

6.5.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

6.5.1.1 जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है चाहे उसके अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या

6.5.1.2 जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

6.5.1.3 स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से इसे मुक्त किया गया है;

- 6.5.2 जिसे ऐसी सेवा से नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अन्यथा उसके स्वयं के अनुरोध पर, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त करने के बाद मुक्त किया गया है और उसे उपदान दिया गया है; और प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक या अर्हक सेवा के खंडित समय;

(या)

- 6.5.3 सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना की डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा के कारण बढ़ गए हैं या परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित;

(या)

- 6.5.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे;

(या)

- 6.5.5 प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता;

(या)

- 6.5.6 भूतपूर्व रंगरूटों को चिकित्सा आधार पर बोर्ड से बाहर कर दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और उन्हें चिकित्सा अक्षमता पेंशन दी गई।

- 6.6 भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार के लिए पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के तहत समूह 'सी' और 'डी' पदों पर सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ईएसएम श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनबद्धता (अनुलग्नक-बी) देता है जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36034/1/2014-Estt (Res) में उल्लिखित प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था।

- 6.7 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी नियमानुसार आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
- 6.8 संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण के लाभों को हासिल करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए, उसे पद/सेवा के लिए अपना आवेदन जमा करने के प्रासंगिक समय पर पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की स्थिति या सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता स्थापित करने की स्थिति में है कि वह सशस्त्र बलों से नियुक्ति की आवेदन की प्राप्ति अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर निर्दिष्ट अवधि को पूरा करेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना होगा।
- 6.9 एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सेना का विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिसने सशस्त्र के साथ कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो गुप "सी" पदों में ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए संघ के बलों को पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे गैर-स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करेंगे, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे ईएसएम उम्मीदवार समूह 'बी' पदों के लिए पात्र नहीं हैं।
- 6.10 पूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/ईएसएम आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को पूर्व सैनिक के रूप में अपनी श्रेणी का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

#### **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण**

- 6.11. उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है उन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचान की जानी है। आय में आवेदन के वर्ष यानी 2021-22 से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति है या है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही पारिवारिक आय कुछ भी हो:

- (i) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- (ii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसकी पत्नी/पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उत्पादन पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-सी में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- (ए) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट / अनुविभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (बी) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (सी) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं और
- (डी) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो सामान्य (अनारक्षित) के तहत केवल रिक्तियों पर विचार किया जाएगा।

इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार ईडब्ल्यूएस स्थिति केवल पात्र होने पर आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए विचार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### **प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:**

6.12 जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस विज्ञापन की सूचना के साथ संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

6.13 अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत जैसे डाक, ईमेल, दस्ती आदि पर इस विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**उदाहरण के लिए,** अभ्यर्थी एक्स ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा। हालांकि, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र पेश करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में इस विभाग द्वारा एक्स की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि अर्थात शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट इत्यादि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

6.15 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और वह महत्वपूर्ण तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

6.16 अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में उनकी उम्मीदवारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित होने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें इस विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

### **आवेदन शुल्क का भुगतान**

6.17 प्रत्येक पद के विरुद्ध यथाउल्लिखित आवेदन शुल्क आवेदन को प्रस्तुत करते समय में ही भुगतान करना होगा और भुगतान को अन्य कोई तरीके/पद्धति से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

| क्र. | पद कोड | पद का नाम  | आवेदन शुल्क |
|------|--------|--|-------------|
| 01   | 12301  | मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए                           | रु. 500/-   |
| 02   | 12302  | तकनीकी अधिकारी/सी (कंप्यूटर)                       | रु. 500/-   |
| 03   | 12303  | उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए                        | रु. 500/-   |
| 04   | 12304  | स्टेशन अधिकारी/ए                                   | रु. 200/-   |
| 05   | 12305  | उप-अधिकारी/बी                                      | रु. 200/-   |
| 06   | 12306  | ड्राईवर-सह-पंप प्रचालक-सह-फायरमैन/ए<br>(डीपीओएफ/ए) | रु. 100/-   |

6.18 महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। एक बार अदा की गई शुल्क को किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है।

### **6.19 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अनुदेश**

|        |   |
|--------|---|
| 6.19.1 | अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक न्यूनतम आयु/शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्राप्त नहीं करते हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।  |
| 6.19.2 | ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा दिनांक 11/03/2023 से 10/04/2023 तक एनएफसी वेबसाइट अर्थात् <a href="http://www.nfc.gov.in">www.nfc.gov.in</a> पर "Recruitment". टैब के तहत उपलब्ध होगी।  |
| 6.19.3 | आवेदनों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। एक पद के लिए एक ही आवेदन जमा किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) टैब पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कराना होगा। |
| 6.19.4 | अभ्यर्थी को कोई भी प्रविष्टि करने या किसी विकल्प का चयन करने से पहले विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए।   |
| 6.19.5 | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ तैयार रहना चाहिए। अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण और आवेदन किए गए पद आदि का विवरण भरना होगा और उचित सादे पृष्ठभूमि के साथ हाल ही में सामने वाले पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी होगी।   |
| 6.19.6 | अभ्यर्थियों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र, दस्तावेज सत्यापन आदि के बारे में आवश्यक सूचना अभ्यर्थियों को केवल उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह भी                              |

|         |  |
|---------|--|
|         | सलाह दी जाती है कि वे इस भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट/सूचना के लिए नियमित अंतराल पर एनएफसी की वेबसाइट <a href="http://www.nfc.gov.in">www.nfc.gov.in</a> देखते रहें। डाक/कूरियर के माध्यम से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।  |
| 6.19.7  | अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन मोड में आवेदन को भरते समय उनकी फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यदि फोटो/हस्ताक्षर छोटा है या पूर्वावलोकन मोड में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह इंगित करता है कि फोटो/हस्ताक्षर आवश्यक प्रारूप के अनुसार नहीं है और उस स्थिति में, आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।  |
| 6.19.8  | <b>फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने हेतु अनुदेश:</b><br>फोटो: इमेज जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में 165 x 125 पिक्सेल आकार की होनी चाहिए और 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>हस्ताक्षर: इमेज जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में 80 x 125 पिक्सेल आकार की होनी चाहिए और 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।  |
| 6.19.9  | प्रस्तुतीकरण बटन को क्लिक करने से पूर्व, अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि सभी विवरण सही भरे गए हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चि करेगा कि आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, आदि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (एसएससी) के अनुसार दर्ज किए गए हैं। गलत सूचना दिए जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।  |
| 6.19.10 | प्रस्तुतीकरण बटन को क्लिक करने के बाद, प्रत्येक पद के लिए एक यूनिक पंजीकरण नंबर जनित किया जाएगा जिसे अभ्यर्थियों को आगे के रेफरेंस के लिए नोट कर लेना चाहिए।<br>अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है उन्हें उनके यूनिक पंजीकरण नंबर का उपयोग करते हुए आवेदन का भुगतान हेतु आगे बढ़ें।<br>भुगतान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रिंट/सेव कर सकते हैं।<br>अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है, भुगतान किए बिना सीधे ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट/काँपी सेव कर सकते हैं। |
| 6.19.11 | अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण होने तक आवेदन प्रपत्र की प्रति को सुरक्षित रख लेना अपेक्षित है।   |
| 6.19.12 | अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनकी भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, अन्यथा: उनके आवेदनों को अवैध माना जाएगा।  |
| 6.19.13 | आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन पत्र में किसी सूचना में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।   |
| 6.19.14 | अभ्यर्थी अवश्य सुनिश्चित करें कि उनकी आवेदन स्थिति "पूर्ण" हुई है।   |
| 6.19.15 | किसी स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 1000 बजे और सायं 0630 बजे के बीच हेल्प डेस्क नंबर.: <b>+91 6385160817, +91 6385160818</b> संपर्क कर सकते हैं। <b>e-mail: helpdesk1@onlinereg.in</b>  |

6.20 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इस दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर समापन दिन लॉग इन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

6.21 यह विभाग इस विभाग के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।



- 6.22 परीक्षा के किसी भी चरण/स्तर (स्तरों) के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 6.23 अभ्यर्थी इस विभाग को किसी भी संचार को संबोधित करते समय पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पंजीकृत ईमेल-आईडी और नाम, जन्म तिथि, पद/परीक्षा का नाम आदि के साथ मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.24 पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से निर्धारित योग्यता होनी चाहिए और पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- 6.25 निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की गणना इस विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 10.04.2023 के अनुसार की जाएगी।
- 6.26 विज्ञापन में निर्धारित अनुभव की अवधि की गणना इस विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 10.04.2023 से की जाएगी।
- 6.27 आवेदनों के सत्यापन के बाद, योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने पंजीकृत लॉगिन आईडी का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें। किसी भी कीमत पर कोई अलग/डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- 6.28 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक परीक्षा से काफी पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी सूचना आवेदन भरते समय उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबरों पर दी जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट लाना होगा, ऐसा न करने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 6.29 केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत काम करने वाले अभ्यर्थियों को पीएटी/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अपने संबंधित नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जमा करना आवश्यक है।
- 6.30 प्रवेश पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाण, जिसमें प्रवेश पत्र पर मुद्रित जन्म तिथि हो, लाना अनिवार्य है, जैसे:
- क) आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,
  - बी) मतदाता पहचान पत्र
  - ग) डाइविंग लाइसेंस
  - घ) पैन कार्ड
  - ई) पासपोर्ट
  - च) नियोक्ता आईडी कार्ड (सरकारी/पीएसयू)
  - छ) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक
  - ज) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- 6.31 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि मुद्रित नहीं है, तो अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक पत्र; जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र) साथ लाना होगा। । प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि का प्रमाण मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.32 परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जाना चाहिए।

6.33 अस्पष्ट/धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**दस्तावेज सत्यापन (डीवी):**

6.34 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति के साथ संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे और उसके बाद विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।

क) अंतिम तिथि यानी दिनांक 10.04.2023 को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के प्रमाण के रूप में उपयुक्त मार्कशीट / प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता, जिसमें विफल रहने पर ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ख) विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए दिए जाने के मामले में, उन्हें उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों के समकक्ष प्रतिशत में इंगित करना होगा। इसके अभाव में उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब भी आवश्यक हो, अभ्यर्थियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन में स्पष्ट रूप से अपनी श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए, भले ही वे अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करते हों। बाद में सामुदायिक स्थिति से संबंधित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी दिनांक 10.04.2023 है।

घ) जन्म तिथि का वैध प्रमाण (मैट्रिक / माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र)।

ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और संबंधित राज्य के संबंध में समुदाय को राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल किया जाना चाहिए (अनुलग्नक-डी में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।

च) ओबीसी उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र हाल ही में वैध तिथि का होना चाहिए और गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक-ई में दिए गए प्रारूप के अनुसार)

छ) निर्धारित प्रारूप में नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और समुदाय को संबंधित राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल किया जाना चाहिए (अनुलग्नक सी में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।

ज) बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवारों को बेंचमार्क डिसएबिलिटी (दिव्यांगजन) के रूप में माना जाएगा, केवल वैध डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करने पर, जिसमें दिव्यांगजन के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी डिसेबिलिटी के प्रतिशत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

- झ) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आयु में छूट का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को रक्षा सेवा के अधिकारियों द्वारा जारी सेवामुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह, विभिन्न अन्य श्रेणियों के तहत आयु में छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रासंगिक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- ञ) एक अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि पर मैट्रिक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- महिलाओं के विवाह के मामले में:** पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी के नाम हों या विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का शपथ पत्र;
  - महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में:** पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी के नाम या विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी से एक हलफनामा हो।
  - महिलाओं के तलाक के मामले में:** तलाक डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई डीड पोल/शपथ पत्र।
  - अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के लिए: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ डीड पोल/शपथ पत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या पास के क्षेत्र का होना चाहिए) क्षेत्र) और राजपत्र अधिसूचना।
- 6.35 जो आवेदन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं उन्हें किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने मात्र से आगे की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 6.36 आवेदकों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए उनकी उम्मीदवारी पर उनके द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर विचार किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और सुनिश्चित करें कि उन्होंने सही जानकारी भरी है और उन्हें यह समझना चाहिए कि गलत जानकारी प्रस्तुत करने से उन्हें भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 6.37 सभी पदों पर नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में मेडिकल फिटनेस के अधीन है।
- 6.38 पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्धारित समय के भीतर चयन सूची से अभ्यर्थी के शामिल न होने या अभ्यर्थी के पद से जुड़ने पर इस्तीफा देने या एक अवधि के भीतर मृत्यु हो जाने की स्थिति में ही प्रतीक्षा सूची संचालित की जाएगी। शामिल होने की तारीख से एक वर्ष के लिए, यदि उस समय तक एक नया पैल उपलब्ध नहीं होता है। प्रतीक्षा सूची का संचालन एक वर्ष से अधिक अथवा ऐसी किसी भर्ती को अधिसूचित करने के बाद, जो भी पहले हो, संचालित नहीं किया जायेगा।
- 6.39 चयन और नियुक्ति के बाद, अभ्यर्थियों को स्थिति की मांग के अनुसार चौबीसों घंटे शिफ्ट ड्यूटी में भाग लेने की आवश्यकता होती है।
- 6.40 बाहर से शारीरिक मानक/शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार/प्रारंभिक परीक्षा/एडवांस परीक्षा के लिए बुलाए गए बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 'टू' और 'फ्रो' यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, जो कि सिंगल **सेकंड क्लास** रेल किराया या वास्तविक किराया जो भी सामान्य निवास स्थान से कम हो तक सीमित होगा। निवास क्षेत्र के एमपी/एमएलए/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन नियमानुसार परीक्षा केंद्र और वापसी सबसे छोटे रास्ते से। यदि रियायती टिकट उपलब्ध हैं, तो प्रतिपूर्ति केवल रियायती वापसी किराए तक सीमित होगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रतिपूर्ति के लिए परीक्षा स्थल पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति

प्रमाण पत्र, टिकट और बेरोजगारी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में अपने दावे प्रस्तुत करें।

- 6.41 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे कोई भी अधूरी, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत न करें या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न करें जो दोषपूर्ण, जाली या मनगढ़ंत हो या अन्यथा स्वीकार्य न हो या धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक स्थिति आदि का दावा करें या सहारा लें चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बावजूद, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या बाद में अवैधता के किसी भी मामले का पता चलता है, तो यह विभाग अन्य उचित कानूनी कार्रवाई करने के अलावा उम्मीदवारी या चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 6.42 गैर-चयनित अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड चयन सूची के गठन की तारीख से 6 महीने से अधिक संरक्षित नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 6.43 दस्तावेज सत्यापन/पीएसटी/पीएटी/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार, जहां भी लागू हो, के स्थान और तिथि(तारीखों) की सूचना स्क्रीनिंग-इन पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र/एनएफसी वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी।
- 6.44 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/पीडब्ल्यूडी/केंद्रीय सरकार की श्रेणी के तहत आयु, आवेदन शुल्क के संबंध में किसी प्रकार की छूट चाहने वाले उम्मीदवार, अग्निशमन आदि में अनुभव रखने वाले कर्मचारियों/व्यक्तियों को पीएसटी/पीएटी/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक दस्तावेजों को भरना और जमा करना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो।
- 6.45 यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यह विभाग इस मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को, जैसा उचित समझे, रिपोर्ट कर सकता है। यह विभाग संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।
- 6.46 किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी/जाली-जाली आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे इसके लिए जिम्मेदार होंगे और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 6.47 अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों, फर्जी वेबसाइटों आदि से सावधान रहें और इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है।
- 6.48 इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी विवाद केवल हैदराबाद में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के अधीन होगा।
- 6.49 कोई भी व्यक्ति, (ए) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या (बी) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, या किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सेवा के लिए बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाए कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्ति और शादी के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है। .

यह विभाग बिना कोई नोटिस जारी किए या बिना कोई कारण बताए भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द/संशोधित/बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस विभाग में चयन/नियुक्ति के आश्वासन के साथ अवैध संतुष्टि के माध्यम से आपके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति की स्थिति में, आपको इस तरह के आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से ऐसे तत्वों का मनोरंजन या प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। इस बात पर बल दिया जाता है और पुनः आश्वासन दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया केवल योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

**नोट:** शुद्धिपत्र/विस्तार आदि, यदि कोई हो तो, हमारे वेबसाइट [www.nfc.gov.in](http://www.nfc.gov.in) पर मात्र प्रकाशित होगा। कृपया वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र अग्रणी समाचार पत्रों में दिनांक 11.03.2023 को प्रकाशित किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 10.04.2023 (23:59 बजे) है।

इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा।

इस अधिसूचना के कारण यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र केवल हैदराबाद होगा और किसी विवाद के मामले में वेबसाइट पर डाले गए विज्ञापन के अंग्रेजी पाठ को संदर्भ के रूप में लिया जाएगा।

:

आयु में छूट की मांग कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों  
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कार्यालय प्रमुख अथवा विभाग जिसमें अभ्यर्थी कार्य कर रहा है द्वारा भरा जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि \*श्री/श्रीमती/कु. \_\_\_\_\_ आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को \_\_\_\_\_ (परीक्षा का नाम) के लिए ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रुपये \_\_\_\_\_ के वेतनमान में \_\_\_\_\_ का पद धारण करने वाला केन्द्रीय सरकार का एक कर्मचारी है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

कार्यालय मुहर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(\* कृपया शब्दों को काट दें जो लागू नहीं हैं।)

**भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिए जाने वाला वचनबंध**

मैं \_\_\_\_\_, रोल नंबर \_\_\_\_\_ धारक, \_\_\_\_\_ परीक्षा, 20\_\_ के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, इसके द्वारा वचन देता हूँ कि:

क) मैं समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिक पुनरःरोजगार के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

ख) मैंने पूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार के लिए दिया गया; या आरक्षण का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) की सरकारी नौकरी में प्रवेश नहीं किया है।

ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। मैंने \_\_\_\_\_ के कार्यालय में \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ के रूप में शामिल किया है। मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि मैंने अपने वर्तमान नियोक्ता को उक्त उल्लिखित परीक्षा के लिए आवेदन के तिथिवार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था; या

घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। मैंने \_\_\_\_\_ के कार्यालय में \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ के रूप में शामिल किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट का पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

रोल नंबर: \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की तिथि: \_\_\_\_\_

कार्यमुक्त होने की तिथि: \_\_\_\_\_

पिछली इकाई/कार्प्स: \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर : \_\_\_\_\_

ई-मेल आईडी: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ की सरकार

(प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पता)

**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र**

प्रमाण पत्र क्र. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

वर्ष \_\_\_\_\_ हेतु वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी  
\_\_\_\_\_ के स्थायी निवासी \_\_\_\_\_, गांव/गली \_\_\_\_\_  
डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में \_\_\_\_\_ पिन कोड  
\_\_\_\_\_ जिसका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित किया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत  
आता है चूंकि वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए उनके 'परिवार'\*\* की सकल वार्षिक आय\* रुपये 8 लाख (रुपये  
आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास  
नहीं है \*\*\*

- I. 5 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि भूमि;
  - II. 1000 वर्ग फीट और उससे ज्यादा का निवासीय प्लॉट;
  - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज़ का निवासीय प्लॉट;
  - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज़ या उससे ऊपर का निवासीय प्लॉट
2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जाति \_\_\_\_\_ से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

हस्ताक्षर मुहर के साथ : \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

आवेदक का प्रमाणित हाल का  
फोटोग्राफ



---

नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

\*\* नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी पत्नी/पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

**अजा/अजजा प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र**

एक अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या जिले का कोई अन्य अधिकारी जैसा कि उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर निवास करते हैं, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में पदनामित किया गया है। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से अन्यथा रहता है। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या सच्ची प्रति नहीं।

(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
ग्राम/कस्बे\* \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_  
जाति/जनजाति \_\_\_\_\_ से संबंधित है, जिसे निम्न के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\*  
के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_  
संविधान (अनुसूचित जाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 \_\_\_\_\_  
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976\* द्वारा संशोधित।  
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962  
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 @  
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 @  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @  
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@  
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @  
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @  
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@  
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@  
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@  
संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@  
संविधान (एसटी) के आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@  
संविधान (एसटी) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@  
संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996@  
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007@

% 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के पिता/माता को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ गाँव/कस्बे\* \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_ में जो \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिन्हें  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है\* दिनांक \_\_\_\_\_ को  
\_\_\_\_\_ द्वारा जारी किया गया।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या \* उनका/उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_ के  
जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ गाँव/कस्बे\* \_\_\_\_\_ में रहता/रहती है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\*\*पद का नाम \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान : \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_

\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

**नोट:** यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप. कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त-सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

(iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता है।

**नोट:** तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री  
\_\_\_\_\_ ग्राम/कस्बे \_\_\_\_\_ जिला/मंडल \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य  
क्षेत्र \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के अधीन एक पिछड़े वर्ग के रूप में  
मान्यताप्राप्त है। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के संकल्प संख्या  
\_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_\*।

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या उनका/उनका परिवार आमतौर पर \_\_\_\_\_  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के \_\_\_\_\_ जिला/संभाग में रहता/रहती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता  
है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993\*\* के कार्यालय ज्ञापन संख्या  
36012/22/93-स्था (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित  
नहीं है।

ज़िला मजिस्ट्रेट : \_\_\_\_\_

उप आयुक्त आदि : \_\_\_\_\_

दिनांक :

मुहर

---

\* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में उल्लिखित है।

\*\* समय-समय पर यथासंशोधित।

**नोट:** यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\*\*\*\*\*